रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 1993/श्रावण 6, 1915
No. 451] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1993/SRAVANA 6, 1915

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1993

का.आ. 576(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का. आ. 394(अ) तारीख 17 जून, 1993 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4
"34.	ट्राइमेथोप्रिम	कि.ग्रा.	1532.00"

[सं. 25(13)/88-पी आई-I]

पी.सी. रावल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3(ii) दिनांक 17 जून, 1993 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का.आ. 394 (अ) दिनांक 17 जून, 1993 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petro-chemicals)

ORDER

New Delhi, the 28th July, 1993

S.O. 576(E):—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of Drugs (Prices Control) Order, 1987 the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro-chemicals) No. S.O. 394(E) dated the 17th June, 1993, namely:-

In the Table below the said order for serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Bulk Drug	Unit	Maximum Price (Rs.)
1	2	3	4
"34	Trimethoprim	Kg.	1532.00"

[No. 25(13)/88-PI. I]

P.C. RAWAL, Jt. Secy.

NOTE:- The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 17th June, 1993 vide Government Notification in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro-chemicals) No. S.O. 394(E) dated, the 17th June, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993